	अपील सूचना अधिकार संख्या 101/2020 (GCMS 2020/00172) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पोस्ट ऑडर क्रमाक 48एफ–311177) **<u>बनाम</u> अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर**

<u>18.01.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 26.06.2020 से बारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना एवं वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2020 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> आपका पत्रांक एफ12(3)( )राजस्व/2019 क्रमांक 542 दिनांक 2.12.2019 से सम्बन्धित सूचनाऐं:
>
> उपरोक्त भूमि गांव चक 15 एलएनपी–।। जो भूमि राजकीय गौशाला ..आवंटित 22 बीघा 15 बिस्वा की गई थी, उसके सम्बन्ध में सूचना
>
> 1. भूमि जिस का[illegible] है
> 2. भूमि पर जो कार्य किया जा[illegible] है
> 3. जनवरी 2013 से दिसम्बर 20[illegible] तक जो आय कुल [illegible] उसका वर्ष वाईज ब्यौरा व सूचन[illegible] प्रमाणित प्रति।
> 4. भूमि पर कब्जाधारी का नाम

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:29 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अवैध कब्जा पाया जाने पर उसका नाम व पता व उस पर की गई कार्यवाही की सूचना।
6. भूमि पर काश्त करने वाले का नाम व पता
7. प्रत्येक वर्ष भूमि की जांच करने वाले क्षेत्राधिकार करने वाले पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार का नाम व उसके द्वारा की गयी विभागीय कार्यवाकी की सूचना।
8. प्रत्येक वर्ष भूमि पर जो खेती की गयी, उसका प्रत्येक वर्ष की जिन्स की सूचना व प्रमाणित प्रति।
9. खेती की कुल पैदावार की सूचना।
10. जिस व्यक्ति या आढतिया को विक्रय की गई खेती उसका पता।
11. खेती की आय एकत्रित करने वाले का नाम।
12. खेती की आय का उपयोग जिस मद मे वर्ष 2013 से किया गया, उसकी प्रत्येक वर्ष की सूचना।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ41(5)( )राजस्व/2020/1964–65 दिनांक 10.07.2020 से प्रार्थ का मूल प्रार्थना पत्र आयुक्त नगरपरिषद् और तहसीलदार, श्रीगंगानगर को सूचना देने हेतु हस्तान्तरित कर दिया था तथा तहसीलदार, श्रीगंगानगन ने अपने पत्रांक भू.अ./2020/2677 दिनांक 04.08.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:29 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र श्रीमान लाक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर) से इस कार्यालय में आपका आवेदन

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्र के बिन्दु संख्या 1 के उपबिन्दु 1 ता 12 में चाही गई सूचना प्रदान करने हेतु हस्तान्तरित होकर प्राप्त हुआ है। आपने गावं 15 एलएनपी द्वितीय की जो भूमि राजकीय गोशाला हेतु आवंटित 22 बीघा 15 बिस्वा की गई थी उसके सम्बन्ध में सूचना चाही है जिसमें बिन्दुवार विवरण निम्नांकित प्रकार से हैः

क्रमांक	चाही गई सूचना	विवरण
1	भूमि जिस कार्य हेतु उपभोग की जा रही है।	आपके द्वारा इस कार्यालय के किसी दस्तावेज की नकल नहीं चाही गई है इस कारण यह सूचना के अधिकार में देय नहीं है।
2	भूमि पर जो कार्य किया जा रहा है।	क्रमांक 1 के अनुसार
3	जनवरी 2013 से दिसम्बर 2019 तक जो आय कुल हुई उसका वर्ष वाईज ब्यौरा व सूचना व प्रमाणित प्रति।	क्रमांक 1 के अनुसार
4	भूमि पर कब्जाधारी का नाम	क्रमांक 1 के अनुसार
5	अवैध कब्जा पाया जाने पर उसका नाम व पता व उस पर की गई कार्यवाही की सूचना।	क्रमांक 1 के अनुसार
6	भूमि पर काश्त करने वाले का नाम व पता	क्रमांक 1 के अनुसार
7	प्रत्येक वर्ष भूमि की जांच करने वाले क्षेत्राधिकार [illegible] पटवारी, गिरदावर व [illegible] का नाम व उनके द्वारा [illegible] विभागीय [illegible] की सूचना।	क्रमांक 1 के अनुसार
8	प्रत्येक वर्ष भूमि पर जो [illegible] की गयी, उसका प्रत्येक वर्ष की जिन्स की सूचना व प्रमाणित प्रति।	क्रमांक 1 के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

9	खेती की कुल पैदावार की सूचना।	क्रमांक 1 के अनुसार
10	जिस व्यक्ति या आढतिया को विक्रय की गई खेती उसका पता।	क्रमांक 1 के अनुसार
11	खेती की आय एकत्रित करने वाले का नाम।	क्रमांक 1 के अनुसार
12	खेती की आय का उपयोग जिस मद मे वर्ष 2013 से किया गया, उसकी प्रत्येक वर्ष की सूचना।	क्रमांक 1 के अनुसार

तहसीलदार (राजस्व)
श्रीगंगानगर

चूंकि तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है**। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या [illegible] के निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:29 IST
Reason: SelfAttested